I/129928/2022(3)

उत्तर प्रदेश शासन
बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग
लखनऊ: दिनांक 06 जनवरी, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

श्री अखिलेन्द्र दुबे, जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध गंभीर शिकायती प्रकरणों में जांच कार्यवाही संस्थित है, जो वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितता, शासकीय नीतियों की आलोचना, महिला कार्मिकों के उत्पीड़न से संबंधित है। शिकायती प्रकरणों में जनपद-लखनऊ का भी प्रकरण जांच हेतु आयुक्त, लखनऊ मण्डल के पास लंबित है। उक्त जांच की निष्पक्षता के दृष्टिगत श्री अखिलेन्द्र दुबे, जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, साथ ही इनके सेवाकाल के समस्त प्रकरणों की जांच कराये जाने का निर्णय लिया जाता है।

2- निलम्बन अवधि में श्री अखिलेन्द्र दुबे को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड दो भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते आदि का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलंबन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

3- उक्त प्रस्तर-2 में मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री अखिलेन्द्र दुबे इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

4- निलम्बन अवधि में श्री अखिलेन्द्र दुबे जिलाधिकारी कार्यालय जनपद-सीतापुर से सम्बद्ध रहेंगे।

Signed by महावीर प्रसाद गौतम
Date: 06-01-2022 [illegible]7:17:39
Reason: Approved

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2 - जांच अधिकारी/आयुक्त, लखनऊ मण्डल,लखनऊ को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2717/60-2-19-2/

Scanned by TapScanner

1. संख्या-3806/60-2-19-2/1(73)/10, दिनांक 17.10.2019 2. पत्र संख्या-4049/60-2-19-2/1(73)/10, दिनांक 07.11.2019 3. संख्या-4041/60-2-19-2/1(73)/10, दिनांक 04.12.2019, 4.अर्द्धशा0पत्रसं0-4469/60-2-19-2/1(73)/10, दिनांक 10.12.2019 5.अर्द्धशा0पत्रसं0-4469(1)/60-2-19-2/1(73)/10,दिनांक 31.12.2019 6.संख्या-1259/58-1-20-2/1(73)/10, दिनांक 27.04.2020 7.संख्या-I/21784/2020-54-2099/787/2019, दिनांक 11.06.2020 8. संख्या-I/34521/2020-54-2099/787/2019, दिनांक 10.11.2020 9. संख्या-I/39222/2020-54-2099/787/2019, दिनांक 11.12.2020 10.अर्द्धशा0पत्रसंख्या-3298/58-1-20-2/1(73)10, दिनांक 04.01.2021 11. संख्या-I/106334/2021-54-2099/787/2019, दिनांक 11.10.2021 12.अर्द्धशा0पत्रसंख्या-3908/58-1-21-2/1(73)10,दिनांक 23.12.2021	1(73)/10,दिनांक 23.07.2019 एवं पार्श्वांकित स्मरण-पत्रों के क्रम में इस आशय से कि श्री अखिलेन्द्र दुबे, जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध पूर्व प्रचलित विभागीय कार्यवाही एवं प्राप्त शिकायती पत्रों की समेकित जांच आख्या 05 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया श्री अखिलेन्द्र दुबे, जिला कार्यकम अधिकारी के विरुद्ध प्रचलित जांच के अतिरिक्त उनके सेवाकाल के अन्य समस्त प्रकरणों की जांच हेतु आवश्यक प्रस्ताव 02 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।

5- जिलाधिकारी, सीतापुर।

6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 शासन।

7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ एवं सीतापुर।

8- श्री अखिलेन्द्र दुबे, जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊद्वारा निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

Scanned by TapScanner